तारीख हुक्म	हुक्म मय कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **प्रकरण संख्या :–01/2014** **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/3/22	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार झुन्झुनूं का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार झुन्झुनूं ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम मण्डावा की जमाबंदी संम्वत 2069 से 2072 के खाता संख्या 654 में सदीक, हनीफ, फारूक, महमूद, आमीन, इलियास पिता यासीन नारिया दर्ज है परन्तु आमीन के पिता का नाम नूर मोहम्मद नारिया था परन्तु राजस्व रिकार्ड में पिता का नाम यासीन है जो गलत है। वार्ड पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट आदि में आमीन पिता नूर मोहम्मद नारिया दर्ज है अतः आमीन पिता यासीन के स्थान पर आमीन पुत्र नूर मोहम्मद शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की है। पत्रावली में प्रार्थना पत्र अ आ नियम 10 जा.दी. दिनांक 28.01.2014 को फारूक पुत्र यासीन द्वारा प्रस्तुत करने पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रभावित पक्षकार होने से दिनांक 28.05.2014 को स्वीकार किया गया एवं आवेदक को संशाधित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। आवेदक द्वारा आज दिनांक तक संशोधित टाईटल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न राजस्व रिकार्ड संम्वत 2003 में सदीक, हनीफ, फारूक, महमूद, आमीन, इलियास पिता यासीन नारिया दर्ज है। उक्त भूमि इन खातेदारों के नाम किस प्रकार दर्ज हुई कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। फारूक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि उक्त भूमि पूर्व में यासीन पुत्र नूरा नारिया के नाम से दर्ज रही थी एवं यासीन की मृत्यु पर यासीन के पुत्रगण सदीक, हनीफ, महमूद एवं फारूक के साथ आमीन एवं इलियास का नाम गलत दर्ज किया गया है। आवेदक आमीन यासीन का भाई था एवं नूरा का पुत्र था। इस प्रकार आमीन यासीन का पुत्र नहीं होकर नूरा का पुत्र है। राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि पूर्व में यासीन के नाम दर्ज थी। पत्रावली में विवादित भूमि सदीक, हनीफ, फारूक, महमूद, आमीन, इलियास पिता यासीन के नाम किस प्रकार दर्ज हुये कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। झुन्झुनू (राज.)	